

कार्यालय अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
पत्रांक:- 1248 (FP/UK/ROAD/11055/2015) दिनांक: देहरादून 26 अक्टूबर, 2016

सेवा में,

अपर सचिव,
वन एवं पर्यावरण अनुभाग—4
उत्तराखण्ड, शासन।

विषय:- जनपद—रुद्रप्रयाग के अन्तर्गत ममणी—उरोली मोटर मार्ग के सम्बन्ध में।
FP/UK/ROAD/11055/2015

महोदय,

विषयांकित प्रकरण के सम्बन्ध में कार्यालय वन संरक्षक, गढवाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी, के पत्रांक 952/12-1 (1) दिनांक 30-09-2016 के द्वारा कार्यालय को उपलब्ध कराई गई है। उक्त सूचना अग्रेतर कार्यवाही हेतु संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

संलग्न—यथोपरि।

भवदीय,

Mo
(विनोद कुमार)
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकार

कार्यालय वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी

पत्रांक:- १५२ / १२-१ दिनांक, पौड़ी, सितम्बर, ३० , २०१६.

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक एवं
नोडल अधिकारी वन संरक्षण,
उत्तराखण्ड देहरादून।

विषय:-

जनपद रुद्रप्रयाग के अन्तर्गत ममणी-उरोली मोटर मार्ग हेतु वन भूमि का हस्तान्तरण प्रस्ताव |Proposal No FP/UK/ROAD/11055/2015

सन्दर्भ :-
महोदय,

उपरोक्त विषयक प्रकरण में उप वन संरक्षक, रुद्रप्रयाग वन प्रभाग, रुद्रप्रयाग का पत्रांक ६८८ / १-१२(२) दिनांक २६.०९.२०१६.

उपरोक्त विषयक प्रकरण में उप वन संरक्षक, रुद्रप्रयाग वन प्रभाग, रुद्रप्रयाग द्वारा वॉचिष्ट आपत्तियों का निराकरण निम्न प्रकार से किया गया है:-

बिन्दु संख्या	आपत्ति	उत्तरालेख
1	बांज प्रमाण पत्र वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित नहीं है व न ही वन संरक्षक की स्थलीय रिपोर्ट संलग्न है। बांज वृक्ष प्रभावित होने पर वन संरक्षक स्थलीय रिपोर्ट आवश्यक है।	प्रस्ताव में बांज वृक्ष प्रभावित होने के सम्बन्ध में सूचना वन संरक्षक स्तर से ऑन लाईन प्रेषित है। (संलग्नक-बांज वृक्ष पातन प्रमाण पत्र)
2	संयुक्त निरीक्षण में आने वाले वृक्षों/प्रभावित होने वाले वृक्षों की ऑनलाईन अपलोड सूची पठनीय नहीं है तथा इस पर वन विभाग की संस्तुति/हस्ताक्षरित नहीं है।	पार्ट-1 के Additional information के S.No. 23 में संयुक्त निरीक्षण में आने वाले वृक्षों/प्रभावित होने वाले वृक्षों की सूची को संस्तुति/हस्ताक्षर सहित ऑनलाईन अपलोड कर दिया गया है।
3	भग-३ व भाग-४ को हस्ताक्षरित कर ऑनलाईन अपलोड नहीं किया गया है।	भाग-३ व भाग-४ उच्च स्तर से संबंधित है।
4	नाप भूमि का विवरण एवं अनापत्ति प्रमाण पत्र में अर्जित की जानी वाली भूमि का खसरा न० व क्षेत्रफल का विवरण अंकित नहीं है तथा इसे राजस्व उपनिरीक्षक द्वारा प्रति हस्ताक्षरित कर ऑनलाईन अपलोड नहीं किया गया है।	पार्ट-1 के Additional information के S.No. 23 में नाप भूमि का विवरण एवं अनापत्ति प्रमाण पत्र में अर्जित की जानी वाली भूमि का खसरा न० व क्षेत्रफल का विवरण अंकित कर दिया है तथा इसे राजस्व उपनिरीक्षक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित कर ऑनलाईन अपलोड किया गया है।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार ३ पेज।

भवदीय

(जी०क०रस्तोगी)

वन संरक्षक,

गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी।

Surjeet

बाज वृक्षों के पातन का प्रमाण-पत्र

परियोजना का नाम : जनपद रुद्रप्रयाग के विकासखण्ड जखोली में राज्य योजना (मु०म०ध०) के अन्तर्गत ममणी-उरोली मोटर मार्ग लम्बाई 5.00 किमी० के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

वन भूमि के हस्तान्तरण हेतु मेरे द्वारा दिनांक X को निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान बाज वृक्षों की निम्नानुसार गणना की गई।

प्रभागीय वनाधिकारी की आवंपा/सहायते से सहमत।

का०	ब्लाक	प्रजाति	व्यास वर्ग									ग्राम
			०-१०	10.20	20.30	30.40	40.50	50.60	60.70	70.80	80.90	
1	जखोली	बाज	11	7	1							19

उपरोक्त परियोजना प्रभागीय होने वाले वृक्षों का पातन किया जाना अति आवश्यक है।

ग्राम सरकार
वन सरकार,
गढ़नील उर्द्द्व पौडी
गढ़नील वृत्त
चुतानाथपुर पौडी

कार्यालय उप वन संरक्षक, रुद्रप्रयाग वन प्रभाग, रुद्रप्रयाग।

पत्रांक 648 / 12-1(2) दिनांक 26 / 09 / 2016::

सेवा में,

वन संरक्षक,
 गढ़वाल दृष्टि उत्तराखण्ड,
 पौड़ी।

विषय :- जनपद रुद्रप्रयाग के विकासखण्ड जखोली में राज्य योजना (मुमंधो) के अन्तर्गत ममणी-उरोली मोटर मार्ग (2.10 है) के निर्माण हेतु लोनिंगिं को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव। प्रोजेक्ट संख्या- FP/UK/ROAD/11055/2015

सन्दर्भ :- आपका पत्रांक- 6548 / 12-1 दिनांक 27.05.2016।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र द्वारा विषयगत वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में लगाई गई आपत्तियों का निराकरण निम्न प्रकार प्रेषित है।

बिन्दु संख्या	आपत्ति	निराकरण
1	बाज प्रमाण पत्र वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित नहीं है व न ही वन संरक्षक की स्थलीय रिपोर्ट संलग्न है। बाज दृक्ष प्रभावित होने पर वन संरक्षक स्थलीय रिपोर्ट आवश्यक है।	वन संरक्षक महोदय से संबंधित है।
2	संयुक्त निरीक्षण में आने वाले वृक्षों/प्रभावित होने वाले वृक्षों की ऑनलाईन अपलोड सूची पठनीय नहीं है तथा इस पर वन विभाग की संरक्षित/हस्ताक्षरित नहीं है।	संयुक्त निरीक्षण में आने वाले वृक्षों/प्रभावित होने वाले वृक्षों की सूची को संरक्षित/हस्ताक्षर सहित ऑनलाईन अपलोड कर दिया गया है।
3	भाग-3 व भाग-4 को हस्ताक्षरित कर ऑनलाईन अपलोड नहीं किया गया है।	भाग-3 व भाग-4 उच्च स्तर से संबंधित है।
4	नाप भूमि का विवरण एवं अनापत्ति प्रमाण पत्र में अर्जित की जानी वाली भूमि का खसरा न0 व क्षेत्रफल का विवरण अंकित नहीं है तथा इसे राजस्व उपनिरीक्षक द्वारा प्रति हस्ताक्षरित कर ऑनलाईन अपलोड नहीं किया गया है।	नाप भूमि का विवरण एवं अनापत्ति प्रमाण पत्र में अर्जित की जानी वाली भूमि का खसरा न0 व क्षेत्रफल का विवरण अंकित कर दिया है तथा इसे राजस्व उपनिरीक्षक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित कर ऑनलाईन (Other document) अपलोड किया गया है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार (ऑनलाईन अपलोड)

मदीय,
 उप वन संरक्षक,
 रुद्रप्रयाग वन प्रभाग, रुद्रप्रयाग।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग

रुद्रप्रयाग

Website - <http://pwd.uk.gov.in>

Fax: 01364-233204, E-mail ID: ecpwd_rpg@rediffmail.com

पत्र संख्या ३५४६ / १०६८

दिनांक २५/७/2016

विषय-

प्रभागीय काम वर्करी

रुद्रप्रयाग बन प्रभाग

रुद्रप्रयाग।

विषय- वनभूमि पत्रावली संख्या FP/UK/ROAD/11055/2015 जनपद रुद्रप्रयाग के विकासखण्ड जखोली के अन्तर्गत ममणी उरो नी मोटर मार्ग निर्माण हेतु 210 है० वनभूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को हरतातरण करने के सवाल्य में।

सन्दर्भ- अनु सचिव उत्तराखण्ड शासन का पत्र संख्या 1295/X-4-15/1(477)/2015 का एवं पर्यावरण अ. माम 4 दिनांक 02/05/2016।

महोदय-

उपरोक्त विषय के मार्ग की वनभूमि पत्रावली औन लाइन अपलोड की गयी थी जिस पर लाइन आपत्तियां लग गयी थी, जिनका निराकरण निम्न प्रकार है-

Sr. EDS Details

EDS Removed as follows

- 1. बाल ब्रमण पत्र बन रारका न द्वारा हरतातरण नहीं है ये बन विभाग द्वारा सम्बन्धित है। न हो बन सरकाक की रुक्तीय रिपोर्ट सलमन है। याच वृक्ष प्रभावित होने पर बन सरकाक स्थलीय रिपोर्ट आवश्यक है।
- 2. सयुक्त निरीक्षण में आर्न बाले वृक्षों प्रभावित होने वाले वृक्षों की ओन लाइन अपलोड रूची पठनीय नहीं है तथा इस पर बन विभाग की अस्युक्ति हरतातरण नहीं है। वृक्षों की पठनीय सूची सलमन है। जिस पर सरकारी व अनाहार बन विभाग द्वारा विभाग लाना है। रुक्तीय हेतु ये 217 पाँच रुक्तीय 25 वृक्षों का लिखा ही बनाया जाना चाहिए। अन्य संज्ञान लिखा जाना सकता है। Other document में आर्न लाइन अपलोड किया गया है।
- 3. माम-४ अ. माम-४ का अनाक्षरित कर आर्न लाइन अपलोड नहीं किया गया।
- 4. नाय भूमि का विवरण वे अनापत्ति प्रमाण तंत्र में अनिवार्य की जाने वाली भूमि का खसबा नहीं व इन्हें लोक विवरण अकिल न हो तथा इस लोक विवरण अनिरीक्षण द्वारा प्राप्त अनाक्षरित कर आर्न लाइन अपलोड नहीं किया गया।

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण
रुद्रप्रयाग।